श्री सभापति: यह टाइम नहीं है। ...(व्यवधान)...यह क्वेश्चन ऑवर है।...(व्यवधान)... क्वेश्चन ऑवर है।...(व्यवधान)...मैं सब समझता हूं।...(व्यवधान)...मैं अलाऊ नहीं करूंगा। ...(व्यवधान)...मैं आपको बता देता हूं...(व्यवधान)...आप एक मिनट सुनिए, सुनिए। ...(व्यवधान)...बैठिए, एक मिनट बैठिए।...(व्यवधान)...आप एक मिनट बैठिए।...(व्यवधान)... अमर सिंह जी, एक मिनट बैठिए।...(व्यवधान)...आप बैठिए, बैठिए।...(व्यवधान)...मैं आपको बहुत ही सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि आप क्वेश्चन ऑवर के बाद इसे उठा दीजिए ...(व्यवधान)...क्वेश्चन ऑवर के बाद में...(व्यवधान)...वह पुस्तक में लिखा है...(व्यवधान)... आपने भी पढ़ लिया...(व्यवधान)...आप मांग कर लीजिए।...(व्यवधान)...मेरे ऑफिस में आ जाइए और बात कर लीजिए।...(व्यवधान)...यह रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है।...(व्यवधान)...बस, आपने जितना कहना था, कह दिया। अब बैठिए।...(व्यवधान)... Please take your seat. (*Interruptions*)... Please take your seat. वह सब पढ़ लिया हमने भी पढ़ लिया...(व्यवधान)... ठीक है।...(व्यवधान)...यह क्वेश्चन ऑवर में आप नहीं उठ सकते।...(व्यवधान)...आपके माननीय सदस्य...(व्यवधान)...आप बैठ जाइए। प्रश्न संख्या 141...(व्यवधान)...

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: सर, क्वेश्चन नम्बर, 141।

श्री वीरेन्द्र भाटिया: आपकी आज्ञा से इसे 12 बजे उठा लें।

श्री सभापति: मेरी आज्ञा मान कहां रहे हो।...(व्यवधान)... मेरी आज्ञा मानी होती तो आपके माननीय नेता ...(व्यवधान)...हाउस में बात कर गए थे, आप इनका भी कहना नहीं मानते हो, तो गया कहीं दूर...(व्यवधान)...

श्री वीरेन्द्र भाटिया: सर, इनका तो कहना मानेंगे ही, आपका तो सबसे पहले मानेंगे ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: अगर मानेंगे तो देखिए, क्वेश्चन ऑवर में मैंबर्स के क्वेश्चंस होते हैं, मेरे नहीं हैं। ...(व्यवधान)...

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

स्वतंत्रता सेनानी

*141. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार स्वतंत्रता सेनानियों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार को स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों की दयनीय स्थिति की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को राहत पहुंचाने हेतु कोई योजना बनायी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वी॰ पाटिल): (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ङ) भारत सरकार ने, 1972 में केन्द्रीय पेंशन स्कीम शुरू होने से लेकर 30 जून, 2006 तक लगभग 1.70 लाख स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को पेंशन मंजूर की है। मंजूर की गई पेंशनों की राज्यवार संख्या विवरण-I में दी गई है (नीचे देखिए)।

हमारी स्वतंत्रता की 25 वीं वर्षगांठ का स्मरणोत्सव मनाने के लिए 1972 में स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मंजूर करने हेतु एक नियमित स्कीम शुरू की गई थी। पेंशन के लिए मात्र होने हेतु, इस स्कीम की अधिकतम आर्थिक आय सीमा 5,000/- वार्षिक थी।

1 अगस्त, 1980 से "स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम, 1980" नाम से स्कीम का पुनः नामकरण कर एक उदारीकृत स्कीम शरू की गई थी। इस स्कीम में अधिकतम आर्थिक आय सीमा समाप्त कर दी गई थी और पेंशन मंजूर करने के प्रावधानों को भी उदार बना दिया गया था।

पति/पत्नी (विधवा/विधुर), अविवाहित और बेरोजगार पुत्रियां (अधिकतम तीन तक) और मृतक स्वतंत्रता सेनानियों के माता/पिता (शहीदों के भी) आश्रित परिवार पेंशन मंजूरी के पात्र है;

शुरू में पेशन की राशि 200/- रुपए मासिक थी। आवधिक रूप से बढ़ाने के बाद 2 अक्तूबर, 1994 से यह राशि 1500/- रुपए मासिक निर्धारित की गई थी। अगस्त, 1997 में हमारी स्वतंत्रता की 50वां वर्षगांठ के अवसर पर पेंशन की राशि दोगुनी कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त, पेंशन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से भी जोड़ दिया गया था। फरवरी, 2005 में मृतक स्वतंत्रता सेनानियों की अविवाहित और बेरोजगार आश्रित पुत्रियों की मूल पेंशन, सबसे बड़ी पुत्री की 600/- रुपए मासिक और अन्य दो पुत्रियों, प्रत्येक की 350/- रुपए मासिक बढ़ा कर सभी तीनों पुत्रियों के मामले में, प्रत्येक के लिए 1500/- रुपए मासिक कर दिया गया था। अगस्त, 2005 में, स्वतंत्रता सेनानियों और मृतक स्वतंत्रता सेनानियों की पत्नी/पति की मूल पेंशन को 15 अगस्त, 2005 से 1000/- रुपए बढ़ा दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप स्वतंत्रता सेनानियों और मृतक स्वतंत्रता सेनानियां की पत्नी/पति को इस समय 6,000/- (4,000/- रुपए मूल पेंशन और 2,000/- रुपए मंहगाई राहत) मिल रहे हैं।

पेंशन के अतिरिक्त, स्वतंत्रता सेनानियों को भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित सुविधायें भी प्रदान की जाती है।

(1) स्वतंत्रता सेनानी और विधवा/विधुर को एक साथी के साथ आजीवन मुफ्त रेलवे पास (प्रथम श्रेणी/II ए सी स्लीपर)

(2) केन्द्र सरकार के सभी अस्पतालों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लोक उद्यम ब्यूरो के नियंत्रणाधीन चालित अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधायें। स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को सी जी एच एस सुविधायें भी दी गई हैं।

(3) स्थापना प्रभारों के बगैर केवल आधा किराये का भुगतान करने पर व्यवहार्यता के अध्यधीन टेलीफोन कनेक्शन;

(4) दिल्ली में ख्यातिप्राप्त स्वतंत्रता सेनानियों को सामान्य पूल रिहायशी आवास (समग्र रूप से 5% विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत);

(5)स्वतंत्रता सेनानी की विधवा/विधुर को, स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के बाद छः माह की अवधि तक आवास रखने की अनुमति भी दी जाती है।

विवरण-I

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मंजूर की गई पेंशनों की संख्या (30.6.2006 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	14,572
2.	अरूणाचल प्रदेश	0
3.	असम	4,437
4 और 5.	बिहार (झारखंड सहित)	24,870
6.	गोवा	1,425
7.	गुजरात	3,591
8.	हरियाणा	1,684
9.	हिमाचल प्रदेश	617
10.	जम्मू और प्रदेश	1,806
11.	कर्नाटक	10,082
12.	केरल	3,186
13 और 14.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	3,465
15.	महाराष्ट्र	17,581
16.	मणिपुर	62

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मंजूर की गई पेंशनों की संख्या (30.6.2006 तक)
17	मेघालय	86
18.	मिजोरम	04
19.	नागालैंड	03
20.	उड़ीसा	4,188
21.	पंजाब	7,005
22.	राजस्थान	808
23.	सिक्किम	0
24.	तमिलनाडु	4,097
25.	त्रिपुरा	887
26 और 27.	उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	17,990
28.	पश्चिम बंगाल	22,479
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	03
30.	चंडीगढ़	89
31.	दादरा और नागर हवेली	83
32.	दमन और दीव	33
33.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	2,043
34.	पांडिचेरी	317
35.	आजाद हिन्द फौज (आई एन ए)	22,467
	कुल	1,69,960

Freedom Fighters

†*141. SHRI JAI PARKASH AGGARWAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the State-wise number of freedom fighters, as on date;

(b) whether Government are aware of miserable condition of the families of freedom fighters;

†Original notice of the question was received in Hindi.

(c) if so, the details thereof;

(d) whether Government have formulated any scheme to provide relief to the families of the freedom fighters; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (e) Government of India have sanctioined pension to about 1.70 lakh freedom fighters and their dependents since the inception of the Central pension scheme in 1972 till 30th June 2006. The State-wise number of pensions sanctioned is given in the Statement-I (See below).

In 1972, to commemorate the 25th Anniversary of our Independence, a regular scheme for grant of freedom fighers' pension was introduced. This scheme had a monetary income ceiling of Rs. 5000/- per annum for being eligible for pension.

With effect from 1st August 1980, a liberablized scheme, renamed as the "Swatantrata Sainik Samman Pension Scheme, 1980", was introduced. This scheme did away with the monetary income ceiling and also liberalized the provisions for grant of pension.

Spouses (widows/widowers), unmarried & unemployed daughters (upto maximum three) and parents of deceased freedom fighters (as also of martyrs) are eligible for grant of dependent family pension.

The amount of pension was initially Rs. 200/- per month. After periodic enhancements, the amount was fixed at Rs. 1500/- per month with effect from 2nd October 1994. In August 1997, on the occasion of the 50th Anniversary of our independence, the amount of pension was doubled. Besides, pension was also linked with the consumer price index. In February 2005, the basic pension of unmarried & unemployed dependent daughter of deceased freedom fighters was enhanced from Rs. 600/- per months for the eldest and Rs. 350/- per months each for the other two to Rs. 1500/- per months each for all three. In August 2005, the basic pension of freedom fighters and spouses of deceased freedom fighters was enhanced by Rs. 1000/- per month with effect from 15th August 2005. Consequently, freedom fighters and spouses of deceased freedom fighters presently get Rs. 6,000/- per months (Rs. 4000/- basic pension and Rs. 2000/- dearness relief).

Apart from pension, freedom fighers are also provided the following facilities by the Government of India:

(1) Free railway pass (1st Class/II Ac Sleeper) for freedom fighter and widow/widower, along with a compansion for life;

(2) Free medical facilities in all Central Government hospitals and in hospitals run by PSUs under the control of the Bureau of Public Enterprises. C.G.H.S. facilities have also been extended to freedom fighters and their dependents;

(3) Telephone connection, subject to feasibility, without installation charges, and on payment of only half the rental;

(4) General Pool residential accommodation (within the overall 5% discretionary quota) to promoinent freedom fighters in Delhi; and

(5) Widow/widower of the freedom fighter is also permitted to retain the accommodation for a period of six months after the death of the freedom fighter.

Statement-I

Sl.No.	Name of State/U.T.	No. of Pensions Sanctioned (As on 30.06.2006)
1.	Andhra Pradesh	14,572
2.	Arunachal Pradesh	0
3.	Assam	4,437
4.&5.	Bihar (including Jharkhand)	24,870
6.	Goa	1,425
7.	Gujarat	3,591
8.	Haryana	1,684
9.	Himachal Pradesh	617
10.	Jammu & Kashmir	1,806
11.	Karnataka	10,082
12.	Kerala	3,186
13.&14.	Madhya Pradesh (including Chattisgarh)	3,465
15.	Maharashtra	17,581
16.	Manipur	62

Sl.No.	Name of State/U.T.	No. of Pensions Sanctioned
17.	Meghalaya	86
18.	Mizoram	04
19.	Nagaland	03
20.	Orissa	4,188
21.	Punjab	7,005
22.	Rajasthan	808
23.	Sikkim	0
24.	Tamil Nadu	4,097
25.	Tripura	887
26.&27.	Uttar Pradesh (including Uttaranchal)	17,990
28.	West Bengal	22,479
29.	Andaman & Nicobar Islands	03
30.	Chandigarh	89
31.	Dadra & Nagar Haveli	83
32.	Daman & Diu	33
33.	NCT of Delhi	2,043
34.	Pondicherry	317
35.	Indian National Army (INA)	22,467
	TOTAL	1,69,960

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: सभापति महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जो सवाल था, वह आज सबसे पहले नम्बर पर है। ''सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में हैं।'' ''नहीं रखनी सरकार ज़ालिम नहीं रखनी।'' और ''मेरा रंग दे बसंती चोला।'' वे लोग जेल गए, यातनाएं सहीं, अपने प्राण दिए और जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई, जो लोग जेल गए, उन्होंने जितनी यातनाएं सहीं, उनके परिवार, जो यहां पीछे रह गए हैं, उनके बीवी बच्चों ने क्या सहा होगा, वह भी उससे कम नहीं है, लेकिन जो सरकार ने अभी जवाब दिया है, मुझे देखकर बड़ा ताज्जुब हो रहा है और दुख भी है। मैं आशा करता हूं कि मुझे आपका प्रोटेक्शन मिलेगा, ताकि उन लोगों को एक क्लर्क की हैसियत से जो दिया जा रहा है, उससे ज्यादा सम्मान हम उन्हें दे सकें। सर, इसमें पहली आपत्ति मेरी यह है...।

श्री सभापति: आपत्ति नहीं, आप सीधे प्रश्न करिए।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: सर, मेरा सवाल सीधे आपत्ति से जुड़ा हुआ है।

श्री सभापति: सवाल आपत्ति से जुड़ा हुआ है तो मैं अलाऊ नहीं करूंगा। अगर क्वेश्चन करना है तो कर लीजिए।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: सर, मैं इस बारे में बहुत इमोश्नल हूं। मुझे इस बारे में सिर्फ एक मिनट का समय दे दें। सर, आज कितने स्वतंत्रता सेनानी बाकी हैं, उनके बारे में आपने कोई नहीं लिखा है। जो आप पेंशन दे रहे हैं, वह पेंशन शायद एक क्लर्क को जो पैसे मिलते हैं, जो ड्राइवर को पैसे मिलते हैं, उससे भी कम पैसे हैं जो चार हज़ार रुपए आपने इसमें लिखे हैं, उसके बाद जो रेलवे पास आप उनको दे रहे हैं, वह सिर्फ टू-टायर ए°सी° का पास दे रहे हैं। कितने फ्रीडम फाइटर आज इस हिंदुस्तान में रह गए हैं, क्या आप उनको फर्स्ट एसी° का पास नहीं दे सकते? जो हैल्थ स्कीम आपने इसमें लिखी है, उसकी लिमिट सिर्फ एक लाख रुपए है। आज अस्सी साल से ऊपर के वे लोग, अगर उनको कहीं ऑपरेशन कराना हो, हार्ट का ऑपरेशन कराना हो, जिस स्थिति में आज वे हैं, क्या एक लाख रुपए में हिंदुस्तान में कहीं ऑपरेशन होता है? फ्री दवाइयों की बात कही, कौन दे रहा है उनको फ्री दवाइयां? टेलीफोन आप दे रहे हैं, उनके ऊपर बहुत अहसान कर रहे हैं कि उनसे आधा चार्ज लेकर आप उनको टेलीफोन दे रहे हैं। इसी तरह आपने लिखा है कि जो उनकी वाइफ होगी, अगर वह मकान में है, तो उसको छः महीने में वह खाली करना पड़ेगा। ख्याति-प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी-दिल्ली में चौधरी ब्रह्मप्रकाश, अरुणा आसफ अली, आसफ अली, राधारमण, रामचरण अग्रवाल, मेमोबाई, लाला हनुमंत सहाय- जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था, क्या इनमें से किसी का नाम आपके पास है? सर, मैं यह जानना चाहता हूं कि आज जो स्थिति है, क्या आप उस स्थिति को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप उन स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान रखते हुए, कम से कम जो मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट को फैसिलिटी मिलती है, वह आप उनको देंगे?

श्री सभापति: मंत्री जी को बोलने दीजिए। मंत्री जी, आप ऐसा जवाब दें कि इनको संतोष हो जाए और ये दोबारा यह क्वेश्चन न उठाएं।

श्री शिवराज वी. पाटिल: श्रीमन् बहुत सारे सवाल हैं और भावना से भरे हुए हैं। हम सब उनकी कद्र करते हैं और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए उनके मन में जो आदर की भावना है, उसकी वजह से ही इतनी तीव्रता से और इतने व्यापक रूप में इन्होंने प्रश्न किए हैं। प्रश्न था कि कितने लोगों को पेंशन दी गई है, सम्मान दिया गया है और उनके घरवालों की क्या मदद की गई है? जो कुछ भी सरकार ने आज तक किया है, हमने आपको बताया है, मगर मैं भी हमारे सम्माननीय सदस्य से सहमति रखता हूं कि जो कुछ भी किया गया है, शायद वह उतना नहीं है, जितनी उनकी संख्या है या जितना हम कर सकते हैं, मगर आज तक हमने जो कुछ भी किया है, आपके सामने रखा है। इसके बावजूद भी अगर ठोस रूप में आपके मन में विचार हैं कि पेंशन के बारे में क्या करना चाहिए या उनके कुनबे के जो लोग हैं, उनके बारे में क्या करना चाहिए या ट्रैवलिंग की जो फैसिलिटी दी गई

है, कोई भी फैसिलिटी उनको दी जा सकती है, उसके बारे में क्या किया जाए? फर्स्ट क्लास का ट्रैवल तो है ही, मगर फर्स्ट ए.सी. के ट्रैवल में मुश्किल है क्योंकि उनके कंपार्टमेंट्स कम हैं, इसलिए सेकेंड ए.सी. के ट्रैवल की फैसिलिटी दी गई है, मगर उसमें हम जो भी कर सकते हैं, वह करने के लिए सरकार जरूर कदम उठाएगी, मगर आज जो हुआ है, उसके बारे में पूछा गया था, उसके बारे में हमने बताया है। इससे ज्यादा कुछ करना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी और आपके सारे लोगों की, भाइयों की, सदस्यों की सहमति से ज़रूर कुछ किया जा सकता है।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: सर, मेरा जो सवाल है, वह यह है कि उन परिवारों ने भुगता है, मैं भी उनमें से एक हूं। मेरे पिताजी तीन बार जेल गए, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप अपनी मिनिस्ट्री में कोई ऐसी कमेटी बनाकर इसमें सुधार करेंगे? सिर्फ यह कह देना कि मैंने आपसे सवाल किया और आपने जवाब दे दिया, इससे मकसद हल नहीं होता है। चार हज़ार, छः हज़ार रुपए से कुछ नहीं होता, शायद मेरे लिए ज़रूरत न हो, लेकिन उनको ज़रूरत है। आज वे 80-85 साल की उम्र के हैं। किसी का हज्बैंड चला गया, बीवी रह गई, किसी के बच्चे बेरोज़गार हैं, क्या आप जो क्राइटीरिया रखते हैं, उसमें से उनके बच्चों को नौकरी देंगे? सर, कुछ तो ऐसा कीजिए कि यहां से खबर जाए कि हम उनकी केयर करते हैं, हम उनको पहचानते हैं, हम उनको जानते हैं। उन्होंने हिंदुस्तान हमें दिया, उन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई, हम तो खा रहे हैं इस स्वतंत्रता का, हमें तो मिल रहा है सब कुछ, उनको क्या दे रहे हैं हम? उनके बारे में आप कुछ तो कहिए।

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: श्रीमन्, ऐसा हो रहा है कि भावनाओं की नाव में बैठकर ये सारा सागर तीर-तीर जाने की कोशिश हो रही है। हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यह जो कुछ किया गया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: मुझे आपके शब्दों पर ऐतराज़ है। ...(**व्यवधान**)... मुझे बहुत सख्त ऐतराज है आपके शब्दों पर।

श्री सभापति: ठीक है, बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: जो शब्द आपने बोले हैं, वे ठीक नहीं हैं आपके लिए। ...(**व्यवधान**)... **श्री अमर सिंह:** सर मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। ...(**व्यवधान**)... स्वतंत्रता सेनानियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ गृह मंत्री जी आप नहीं कर सकते हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: बिल्कुल गलत बोला है आपने। ...(**व्यवधान**)...

श्री अमर सिंह: आपके ही दल के सदस्य बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सदस्य की यह मांग है। ...(**व्यवधान**)... आप अपने ही सदस्य की भावनाओं का अनादर कर रहे हैं।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: जितने लोग जेल में गए, उनके बीवी-बच्चों का क्या हाल हुआ होगा? ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है, आपने अपनी भावना व्यक्त कर दी। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, जिन लोगों के बारे में जय प्रकार जी बात कर रहे हैं, वे भावनाओं के ही धनी थे और इसीलिए देश पर कुर्बान हो गए और आज गृह मंत्री जी कर रहे हैं कि भावनाओं की नाव पर चढ़कर सवारी करने की बात हो रही है। अगर देश के प्रति यह भावना नहीं होती, तो कभी फांसी का फंदा नहीं चूमते भगत सिंह, अगर देश के प्रति भावना नहीं होती तो ...(**व्यवधान**)...

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: श्रीमन् मैं यही कहने जा रहा था और मैंने पहले सवाल के उत्तर में भी यही कहा है कि मैं इसका आदर करता हूं और आपका आदर करता हूं। मैंने उस जवाब में यह भी कहा है कि यदि आपकी तरफ से कोई कांक्रीट सजेशन्स हैं, तो हम ले लेंगे। आप कंक्रीट सजेशन न देते हुए यह कह रहे हैं कि कोई कमेटी बनाएं, तो दे देंगे। हमारे पास कमेटियां हैं और उनके मुताबिक हमने काम किया हैं यदि आपको, हमको और सबको लगता है कि जो कुछ भी किया गया है, वह कम है तो उसमें जरूर कुछ और किया जा सकता है। इसमें राजनीतिक दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है, हम भावना की दृष्टि से जरूर देखेंगे। जब हम सरकार की ओर से यह कहने जा रहे हैं कि इतने लोगों के लिए, उनके घर वालों के लिए, इतना सब कुछ किया है, यदि इससे ज्यादा करने का है, तो वह भी हम करेंगे। यदि इस बारे में आपके सुझाव होंगे तो हम वे भी मानेंगे, लेकिन फिर इस बारे में यह दिक्कत क्यों हो रही है? ...(**व्यवधान**)... अगर इसके बाद भी दिक्कत हो रही है तो जैसा आप सब लोग सुझाव देंगे, सदन जैसा सुझाव देगा, तो हम वैसा करेंगे। हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि जितना होना चाहिए था, जो कुछ भी किया गया है, वह शायद काफी नहीं है। हम दो लाख लोगों को सम्मान दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी भी है कि वे कुछ मांगने के लिए भी नहीं आते हैं और एप्लीकेशन भी नहीं देते हैं। इसका मतलब यह है कि वे नहीं है, ऐसा नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, मेरा केवल इतना सुझाव है कि सदन के जो माननीय सदस्य इसमें रुचि रखते हैं, उन सबको एक साथ बुलाकर, उनके साथ एक बैठक रख लें।

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: श्रीमन्, मैं आपके कहने के मुताबिक बैठक जरूर बुलाऊंगा। मेरी आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि जब मैं बैठक बुलाऊं, तो वे आ जाएं, क्योंकि पहले भी मैंने दो-चार बैठकें बुलाई थीं। हम वहां पर बैठे थे, लेकिन वहां पर कोई नहीं आया था। ...(**व्यवधान**)... सर, मैं आपके कहने पर बैठक जरूर बुलाऊंगा और उनके सुझाव लेकर, उनके ऊपर अमल भी करूंगा। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, यह उनकी पार्टी का आंतरिक मसला है, लेकिन हमें बुलाएंगे तो हम जरूर आ जाएंगे। ...(**व्यवधान**)... वे नहीं आए तो हमें मालूम नहीं है, ये तो आपकी पार्टी का आंतरिक मामला है। ...(**व्यवधान**)...

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: मैंने तो सभी विरोधी दलों को बुलाया था, लेकिन वे आए नहीं थे।... (व्यवधान)... हम आपको जरूर बुलाएंगे। ...(व्यवधान)... सर, मैं बात करके जरूर बुलाऊंगा और आपके सामने भी रखकर, जो कुछ करना जरूरी होगा, तो हम जरूर करेंगे।

श्री मंगनी लाल मंडल: माननीय सभापति महोदय, मंजूर की गई पेंशनों के बारे में जो जवाब दिया गया है, उसमें बंगलादेश को छोड़कर, बिहार और बंगाल की फीगर्स भी हैं। इनमें बंगाल की फीगर्स 22 हजार हैं और बिहार की फीगर्स 24 हजार हैं, जो कि स्वीकृत की गई हैं। हम ऐसे व्यक्तियों को जानते हैं, जिनकी उम्र 80 वर्ष से ज्यादा हो गई है और बिहार में फ्रीडम फाइटर रहे हैं। पेंशन पाने के लिए, दौड़ते-दौड़ते उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं, लेकिन पेंशन की स्वीकृति नहीं हुई है। गृह मंत्रालय ने जो क्राइटेरिया बनाया था, जो आधार बनाया था, उसमें एक आधार यह भी था कि कोई को-प्रिजनर है, जो जेल में एक साथ रहे हैं, सजा भुगत चुके हैं और किसी तरह से जेल का अभिलेख नष्ट हो गया है, तो को-प्रिजनर सर्टिफाई करता है कि यह हमारे साथ जेल में रहे हैं और इन्होंने यातनाएं सही हैं या वे भगौड़े थे, यह भी सत्यापित करने के लिए, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनका आधार बनाया है। उन लोगों ने प्रमाणपत्र दिया और सत्यापित किया और इसके बाद बिहार सरकार के पेंशन विभाग का जो गृह मंत्रालय है, उसने अनुशंसा की कि ये फ्रीडम फाइटर हैं, इनको पेंशन दी जाए। इसके बावजूद भी कई ऐसे लोग हैं जिनकी 80-85 साल की उम्र हो गई है, वे परेशान हैं और आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, लेकिन उनकी पेंशन की स्वीकृति नहीं हुई है। माननीय गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया है कि भावना की नौका पर तैर रहे हैं, मैं उनसे ऐसे जवाब की अपेक्षा नहीं करता था कि ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप उसको छोड़िए।

श्री मंगनी लाल मंडल: बहुत गंभीर और काबिल गृह मंत्री जी हैं। वे हमारी भावनाओं और स्वतंत्रता सेनानियों की वेदना से अवगत हैं तथा उनसे सहमत हैं। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, बिहार के अलावा जो दूसरे प्रदेश हैं, मैं उनके बारे में नहीं जानता हूं, बिहार के जो स्वतंत्रता सम्मान पेंशन के लिए अर्जियां बरसों से लम्बित हैं और जो वृद्ध हो चुके हैं, हम जो चिट्ठी लिखते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है।

श्री मंगनी लाल मंडल: जिनको अस्वीकृत करके लौटा दिया गया है, उनकी समीक्षा करने के बारे में आप क्या कोई विचार करेंगे और उनको स्वीकृत करने की कृपा करेंगे?

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जो कहा है, वह बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास 6 लाख एप्लीकेशन्स आई थीं और उनमें से 4 लाख एप्लीकेशन्स कुछ टेक्नीकल बातों की वजह से रिजेक्ट हो गई हैं। मैंने यहां आने से पहले अपने सभी आफिसर्स को बुलाकर यह बताया है कि हमारा दृष्टिकोण मदद करने का होना चाहिए। इसके साथ ही हमारा दृष्टिकोण न कहने का

नहीं होना चाहिए। मगर उसकी एक दूसरी बाजू भी है, जिसको आप गलत न मानें, तो ठीक होगा। अगर उस बच्चे की, जिसने application दी है, उसकी उम्र उस समय साल-दो साल की है, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। कुछ ऐसे केसेज़ कोर्ट में भी गए हैं और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट से भी orders आए हैं, इसे देखना भी जरूरी है। मगर दृष्टिकोण के बारे में मैं सदन में कहना चाहूंगा, मैंने ऑफिस में अपने साथियों को ...(**व्यवधान**)...

श्री मंगनी लाल मंडल: सर, मैंने 80 वर्ष की उम्र से ज्यादा का उल्लेख किया है।

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: हमारा दृष्टिकोण यह रहेगा, जैसा आप कह रहे हैं कि जहां तक हो सके, उनकी मदद की जाए। जो 80 साल के हैं, उनकी मदद करने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी सर्टिफिकेट वगैरह की बात है, तो उसे टेक्निकल बनाकर उसे रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसे देखना है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में सिर्फ दो लाख लोगों ने हिस्सा नहीं लिया था, बल्कि लाखों लोगों ने हिस्सा लिया था। सिर्फ दो लाख लोगों को हम सम्मान पत्र भी दे रहे हैं और पेंशन भी दे रहे हैं। यह बहुत कम है। इसलिए हम इसे अपने ध्यान में रख कर इसे हल करने की कोशिश जरूर करेंगे। मगर इसमें जो दूसरा पहलू है, जिसके बारे में जो दस्तखत करता है, उसे जवाब देना पड़ता है, उसको भी पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।

श्री सभापति: एक मिनट, एक मिनट ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य, मैंने आपका नाम नहीं लिया है । ...(**व्यवधान**)...

श्री अमर सिंह: वे भी स्वतंत्रता सेनानी हैं।

श्री सभापति: वे स्वतंत्रता सेनानी होंगे, तो मैं भी हूँ।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: सभापति जी, देश को आजाद हुए 6 दशक हो गए। महंगाई की मार झेलने पर हमने अपने कर्मचारियों के लिए पिछले दशक में 5th पे-कमीशन लागू किया, अब 6th पे-कमीशन बिठाया जा रहा है। मेरा मंत्री महोदय से जानने के लिए यह सवाल है कि आपने इनकी आर्थिक अवस्था को जानने के लिए इन 6 दशकों में कितनी बार रिव्यू कराया और राष्ट्र की स्वाधीनता के 6 दशक, 60 साल पूरे हो रहे हैं, क्या इस वक्त आप उन स्वाधीनता सेनानियों, जो टिमटिमाते तारे हैं, जिन तारों की कहानियों ने हमें आज आजाद भारत दिया है, उन टिमटिमाते तारों के भविष्य के बारे में क्या आप इसकी समीक्षा करने के लिए कोई रिव्यू समिति बनाएंगे, जो रिव्यू करके यह बताए कि उन्हें क्या-क्या चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं, ताकि वे चीज़ें उन्हें मुहैया कराई जा सकें?

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: श्रीमन्, जो भी हम कर सकते हैं, वह जरूर करेंगे और आपकी राय से करेंगे। इसमें सिर्फ इतना ही होना है कि इसे करते समय जो लोग दस्तखत करते हैं, उन लोगों के खिलाफ केसेज़ होकर उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमें इसे देखना भी जरूरी है।

मैं सम्माननीय सदस्यों की मालूमात के लिए बताना चाहूंगा कि पहले सिर्फ दो-ढाई सौ रुपए का पेंशन दिया जाता था, आज हम 6 हजार रुपए तक का पेंशन दे रहे हैं। आपने सही कहा कि यदि महंगाई बढ़ती है, तो इसमें भी अन्तर होना चाहिए। हमने ऐसा निर्णय लिया है कि मंहगाई जिस तरह से बढ़ती जाएगी, पेंशन में भी उस हिसाब से बढ़ोतरी होनी चाहिए। यह कहा गया है कि जितनी पेंशन दी जाती है, उसका आधा हम बढ़ाते जाएंगे। आज हम 6 हजार रुपए तक दे रहे हैं। पहले घर की तीन लड़कियों तक पैसे दिए जाते थे। पहले 600 रुपए और 350 रुपए दिए जाते थे, उसको आज हम 1500 रुपए तक ले गए हैं। मगर इसे भी देखा जाए, तो मैं आपकी बात मानता हूं कि यह हम है। हमारे पास कमेटियां जरूर हैं और एक साल पहले ही जो 4 हजार रुपए की पेंशन मिलती थी, उसको हम 6 हजार तक ले गए। अगर इससे भी ज्यादा कुछ करना है, तो इन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए वैसा करना मुश्किल नहीं होगा।

मेरे मन में एक और विचार है। वह ऐसा है कि जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है और शायद हमारी वजह से उनको पेंशन नहीं मिल सकी है और हमारे साथ वे हजारों साल रहें, मगर यदि उनको बीच में कुछ हो गया, तो ऐसे सदस्यों के बच्चों को, घर वालों को क्या हम कुछ दे सकते हैं? अगर हमारे पास वे आ गए, तो हम वह भी देखेंगे। जिस प्रकार से भी हम उनकी मदद कर सकते हैं, हमारे मन में जो विचार है, उस प्रकार से हम करेंगे। मगर हमारे मन के विचार ही काफी नहीं हैं, आपके विचारों के मुताबिक भी उनकी मदद करने का हमारा रवैया, दृष्टिकोण रहेगा। इसके बारे में आप मन में कोई शंका नहीं लाइए। सब लोग बोल रहे हैं, भावनाओं से बोल रहे हैं। मगर सिर्फ भावना से बोल कर नहीं, कुछ concrete suggestions देकर भी अपने को आगे जाना होगा।

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि करीब 5 लाख मामले ऐसे हैं जिन्हें पात्र नहीं पाया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि जिन केसेज में राज्य सरकारों ने अनुशंसा कर दी है और गृह मंत्रालय में उन अनुशंसाओं की फाइलों को लगे कई वर्ष हो गए हैं, उस के बावजूद जब गृह मंत्रालय से जवाब आता है तो कह दिया जाता है ये पात्रता नहीं रखते हैं। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहूंगा कि जितने मामले आप के गृह मंत्रालय में लंबित हैं, उन मामलों को एक बार दिखवा दें, जहां राज्य सरकारों की अनुशंसाएं हो चुकी हैं, उन को देख लें। माननीय सभापति महोदय, आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और आज भी हैं, आप ने देखा है कि उन लोगों ने किस प्रकार की यातनाएं सही हैं। महोदय, मुझे मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि 15 अगस्त करीब है, अगर इन स्वतंत्रता सेनानियों को 6 हजार से बढ़कर 10 हजार रुपए मिलता है तो कम-से-कम ऐसा लगेगा कि छठवें दशक में हम ने उन की भावनाओं का सम्मान किया है।

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: सभापति महोदय, सम्माननीय सदस्य का यह कांक्रीट सजेशन है कि इसे 6 हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपए किया जाए, यह ध्यान में रखने जैसी बात है। इसे हम ध्यान में रखेंगे।

श्री कमाल अख्तर: सभापति जी, मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दीं और आज हम उन को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मानते हैं व सुविधाएं देते हैं। लेकिन देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए इमरजेंसी के टाइम में लाखों लोग जेल गए। उन्होंने भी लोकतंत्र को बचाने के लिए कुर्बानियां दीं। ....(**व्यवधान**)... सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उन लोगों को सुविधाएं दी हैं, पेंशन दी है। क्या देश के अंदर इमरजेंसी के टाइम में जिन्हें जेलों में डाला गया था, उन्हें कोई सुविधा देने का आप का इरादा है या आप कोई विचार कर रहे हैं? ....(**व्यवधान**)...

श्री अमर सिंह: सभापति जी, आप भी स्वतंत्रता संग्राम में जेल गए थे, इमरजेंसी में भी गए थे, आप बताइए कि लोकशाही का गला घोंटे जाने से बचाने के लिए इमरजेंसी में जो जेल गए थे व 19 महीने तक ....(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: श्री शरद अनंतराव जोशी।

श्री कमाल अख्तर: सभापति जी, मंत्री जी का जवाब नहीं आया। ....(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: देखिए जो इमरजेंसी में जेल गए, उन्होंने आज तक ऐसी मांग नहीं की। उन्होंने आज तक भी मांग नहीं की।

श्री कमाल अख्तर: सर, उत्तर प्रदेश के अंदर दे रहे हैं। ....(**व्यवधान**)...

श्री शरद अनंतराव जोशी: सभापति महोदय, मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि स्वतंत्रता आंदोलन के अलावा ऐसे दूसरे कौन से आंदोलन हैं जहां के स्वतंत्रता सेनानियों को इस तरह का सम्मान दिया जाता है जैसे कि हैदराबाद का आंदोलन या गोवा का आंदोलन?

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: श्रीमन्, हमारे पास लिस्ट है जिस को स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन माना गया है और ऐसी भी लिस्ट है जिस को नहीं माना गया है। उस लिस्ट को ध्यान में रखकर यह पेंशन दी जाती है। ....(**व्यवधान**)... इस लिस्ट में अगर कोई बदलाव करना है तो वह भी किया जा सकता है, मगर जो लिस्ट है उसी के मुताबिक हम यह पेंशन देते हैं। ...(**व्यवधान**)... इस में गोवा का है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: श्री मोइनुल हसन।

SHRI MOINUL HASSAN: Sir, through you, I would like to know from the hon. Minister whether it is a fact that the names of nearly 5000 people who had taken part in the great Telangana Movement have been recommended by the Andhra Pradesh Government to be considered as 'freedom fighters', and whether it is pending with the Government of India. They have not yet been recognised as 'freedom fighters'. Sir, for your information, I would like

to tell you that one of the great freedom fighters, Mr. Krishnamurthy, who had taken part in the Telangana Movement, died today. Actually, there are nearly five thousand such freedom fighters. What is the opinion of the Government in this regard? This is what I would like to know from the hon. Minister.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, I don't think the Telangana Movement is treated as 'freedom struggle'. But the struggle, which was started against the regime of *Nizam* in Hyderabad State, is treated as freedom movement and we have taken different decisions in this respect.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, would you kindly say what the difference is? ...(*interruptions*)...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Now, Telangana is part of the region that includes Marathwada, Karnataka and others. The Telangana Movement was a different movement.

SHRIMATI BRINDA KARAT: But that is what they are saying...(*interruptions*)...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: No, it is not that....(*interruptions*)...It is not that ...(*interruptions*)... Sir, as far as ...(*interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please, don't disturb...(*interruptions*)... Please, take your seat.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, the Telangana Movement was a completely different movement. The movement against the Nizam's regime, which came to an end in 1948 and in which not only the people from Telangana but also people from Karnataka and Marathwada were involved, is recognized. That movement was not only recognized, but on two different occasions, two different decisions had been taken. In the regime when Mr. Indrajit Gupta was there, he had taken a decision that those people who were fighting against the Nizam, but who were not in the jail and were underground, must be given the compensation. A decision was taken to that effect. Later on, this Government also took the decision after coming to power that there were others who were not in the jail but were underground, and fighting, and they should be given compensation. The Government decided to increase the number of pensions that could be given to these people. But, there is a difficulty. A committee has been constituted for this purpose. That committee is expected to go into the applications given by such persons and then send recommendations to the Government of India. Unfortunately, that committee has not been able to look into all these things and the papers which we have received are faulty; sometimes, the signatures are there and names are not there and

sometimes names are there and signatures are not there. Because of this, there is difficulty, but, all the same, we are trying to solve this problem also. A big amount of money has been provided; this Government afterwards provided Rs. 40 crores.

But these kinds of discrepancies should be done away with and I would request the hon. Members that if there are any other things that could be done, please suggest them to the committee; let the papers come and we shall try to help them...(*interruptions*)...

श्री सीताराम येचुरी: सर, मैं इसी से सम्बन्धित एक सवाल पूछना चाहता हूं। ...(व्यवधान)... क्योंकि मैं आंध्र प्रदेश से हूं, ...(व्यवधान)... इसलिए मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूं। ...(व्यवधान)... Sir, the hon. Minister is aware that we have given them a long list of applications cleared by the committee set up for granting pensions to the freedom fighters of Andhra Pradesh. He is right, many of them are illiterate, some of them use thumb impressions; some of them cannot read and write. Why I am raising this is सर, क्योंकि भावनाओं के आधार पर बात हो रही है। कल ही वहां श्री कृष्णमूर्ति नाम के एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर की मृत्यु हुई है। वे 40 साल तक फ्रीडम फाइटर पेंशन का इंतजार करते रहे, लेकिन वह उनको नहीं मिली। अब यह पीढ़ी खत्म हो रही है। इनके खत्म होने से पहले आप जरा इनको at least इज्जत तो दीजिए। पैसे की बात नहीं है, ...(व्यवधान)...उनको वह इज्जत तो दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: ठीक है, हो गया। ...(व्यवधान)...श्रीमती विप्लव ठाकुर! ...(व्यवधान)...

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: सर, मैं माननीय सदस्य से बिल्कुल सहमत हूं कि उनके लिए तो सबसे बड़ी चीज इज्जत है। उनकी संख्या लाखों में होने के बाद भी वे कहते हैं कि हम इसको मांगने के लिए नहीं आएंगे। हमको दर्द होता है। ...(व्यवधान)... हम कहते हैं कि अगर आज तक की सारी सरकारों का यह रवैया होता कि उनसे एप्लिकेशन मांगने के बजाए वे कौन-से फ्रीडम फाइटर हैं, यह जानकर हम खुद ले जाकर उनको देते, तो अच्छा होता, मगर वह नहीं हुआ है। मगर मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर किसी ने ऐसी कोई एप्लिकेशन दी है और अगर बीच में उनकी मृत्यु हो गई है, तो ऐसे लोगों के घर वालों को हम कैसे मदद करेंगे, इसके बारे में भी हम जरूर देखेंगे। मगर, मुश्किल यह हो गयी है कि हाई लेवल कमेटी ने हमारे पास जो कागजात भेजे हैं, उसमें कहीं पर किसी के सिर्फ नाम हैं, तो कहीं किसी के सिर्फ दस्तखत हैं और नाम नहीं हैं। हम उसको भी हल करने की कोशिश कर हैं और **आपकी तथा सब की मदद से हम जरूर करेंगे**। ...(व्यवधान)...

श्रीमती विप्लव ठाकुर: माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या यह सच है कि जो **फ्रीडम फाइटर का बेटा है, उसके बच्चों को** आगे 5 परसेंट, जो भी कोटा रखा हुआ है, मिलता है, लेकिन जो फ्रीडम फाइटर की लड़की है, उसके बच्चों को कुछ नहीं दिया जाता है, क्या इनको इस बात की जानकारी है? अगर है, तो उसके लिए ये क्या कदम उठाने जा रहे हैं? क्या

उसकी लड़की के बच्चों को भी यह दिया जाएगा? वह भी उतनी ही भुक्तभोगी है, जितना कि उसका बेटा है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: ठीक है। यह भावना का प्रश्न है।

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: श्रीमन्, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और ऐसे सुझाव का गहराई में जाकर विचार करना जरूरी है। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि अगर लड़के के बच्चों को दिया जाता है, तो लड़कियों के बच्चों को क्यों नहीं, मगर कैसे किया जा सकता है, हम सारी बहनों के साथ बात करके विचार कर सकते हैं। ...(व्यवधान)...

श्रीमती विप्लव ठाकुर: सर, यह कैसा नियम है कि बेटे के बच्चों को मिलता है, बेटियों के बच्चों को नहीं। इसमें कुछ कीजिए बिल्कुल। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप लोग सुन लीजिए। ...(व्यवधान)... मंत्री जी को सुन लीजिए। ...(व्यवधान)... एक बार सुन लीजिए इनको। ...(व्यवधान)...

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: श्रीमन्, मेरी रिक्वेस्ट ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: महिलाओं की ताकत देख ली, आपने?

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: जी, महिला-शक्ति के प्रतिनिधि हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: बैठिए, बैठिए, आप लोग। ...(व्यवधान)...

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: श्रीमन्, शायद हमारी बहनों ने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा। मैं उनके विचारों की तरफ से ही बात कर रहा था, मगर जो भी प्रोसीजर है, उसको फॉलो करेंगे।

अगर आपसे वह संदेश है, तो वह हमारे ऊपर बाइंडिंग होगा, सदन ने किया, तो वह बाइंडिंग होगा। मैं इसमें जो कर सकता हूं, मिनिस्ट्री में जरूर करुंगा और उसके लिए जो कदम उठाने होंगे, हम जरूर करेंगे। इसको ध्यान में न लेते हुए अगर कोई बोल रहा है, तो उससे इसकी गरिमा भी कम हो जाती है।

श्री दिग्विजय सिंह: सभापति जी, जब-जब अगस्त का महीना आता है, पूरा देश स्वतंत्रता संग्राम के सैनानियों के सामने नतमस्तक होता है। इसमें 9 अगस्त और 15 अगस्त, दो ऐसे ऐतिहासिक दिन हैं, जिनको हम कभी भुला नहीं सकते। मैं माननीय मंत्री जी से बहुत सीधा और साधारण सा सवाल पूछ रहा हूं। जब यह पेंशन उनको दी गई थी 1972 में, जिसके लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रावधान किया था, उस समय विधायकों और सांसदों की भी करीब-करीब वही स्थिति थी, जितनी पेंशन का इनके लिए इंतजाम किया गया था। उस समय सेकेंड क्लास ए॰सी॰ में एम॰पी॰ भी चला करते थे और सेकेंड क्लास में विधायक भी चला करते थे। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जैसी पूरे सदन की भावना है, कि अब इनकी संख्या बहुत कम बच गई है और ये सभी 80 साल से ऊपर के हो चुके हैं, क्योंकि 1942 का आखिरी आंदोलन है और 1942 के

हिसाब से देखा जाए तो करीबन 80 साल की उम्र के आसपास के ये सारे लोग होंगे, तो क्या उनके सम्मान में देश एक बार ऐसा सोच सकता है कि जो सुविधाएं, आप तनख्वाह मत दीजिए, मगर जो सुविधाएं आप अपने सांसदों और विधायकों को देते हैं, वही सुविधाएं अपने स्वतंत्रता संग्राम के सैनानियों को देंगे?

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: श्रीमन्, ये सभी जो बाते हैं, महत्वपूर्ण हैं और उसको हम आसानी से नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे, तो गलत होगा। हम ऐसा नहीं करेंगे, मगर आप जो भी सुझाव इस संबंध में दे रहे हैं, उसको देखना भी हमारे लिए जरूरी है। मैं यह कहना चाहूंगा कि फर्स्ट क्लास ए॰सी॰ की सुविधा अगर सबको देनी है, तो एक बार जब यह बात निकली थी तो रेलवे मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मेरे पास उतनी बोगीज नहीं हैं, मैं दे नहीं सकता। मैं आपको यहां यह बताना चाहता हूं कि मैंने सिविल एविएशन मिनिस्टर के नाते उस समय उनको कहा था कि आप फर्स्ट क्लास ए॰सी॰ की बोगी नहीं दे सकते, मैं इसको मानता हूं, मगर हमारे हवाई जहाज खाली जाते हैं, उनमें हम उनको ले जाने की इजाजत जरूर दे देंगे। ऐसी उसके अंदर दिक्कतें आती हैं, मगर आप जो सुझाव दे रहे हैं, वह सुझाव विचार करने के योग्य है और हम जरूर विचार करेंगे। उसका इंप्लीकेशन वगैरह सारा न देखकर अगर मैं कुछ यहां पर कह दूं और कल कुछ दिक्कत आ जाए, तो आप बोलेंगे कि बिना सोचे आपने यहां कह दिया था। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपकी भावनाओं से, सारे सदस्यों की भावनाओं से मैं सहमति रखते हुए जो कुछ भी कर सकता हूं, आपके एक अच्छे एडवोकेट के नाते वह मैं होम मिनिस्टरी से करूंगा। होम मिनिस्टरी इसमें जो कर सकती है, मैं जरूर करुंगा।

श्री दिनेश त्रिवेदी: सर, एक छोटा सा सवाल है, यह सवाल भावनाओं से जुड़ा है। सर, मैं एक मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।

जब देश में थी, दीवाली, वह खेल रहे थे होली।
जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली।

सर, लता मंगेश्कर का यह गाना सुन कर पंडित जी की आंखें भर आई थीं, इसलिए यह सवाल भावना से जुड़ा हुआ है।

सर, यहां प्रामिस की बात की जा रही है कि आगे क्या देना है? मेरा सवाल यह है कि आपने आलरेडी कुछ प्रामिस किए हुए हैं। कुछ ही दिन पहले गेट-वे आफ इंडिया में चंद सैनिक आए थे, जिनके हाथ या पांव नहीं थे, वे बैसाखियों के सहारे आए थे। उन्होंने अपने मैडल जला दिए कि हमें जिस कम्पन्सेशन के लिए प्रामिस किया गया है, वह भी आज तक हमें इज्जत के साथ नहीं मिला है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कम से कम आपने जो वायदा उनसे किया हुआ है, आप उसे निभाएंगे या नहीं? यदि निभाएंगे तो कब तक?

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: श्रीमन्, मुझे नहीं लगता कि यह सवाल हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सम्मान के संबंध में है। यह सवाल तो मिलिट्री पर्सनल्स और एक्स सर्विस मैन्स के संबंध में है। इन

सभी चीजों का जवाब मैं अपने कुलीग्स के साथ एवं गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करने के बाद ही देने की कोशिश करूंगा, आज यदि मैं कुछ कहूंगा फिर आप बोलेंगे कि आप यहां पर यह बोल रहे हैं और कल आपने यह बोला था। इसलिए आपको केवल टालने के लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, हमारे सभी कुलीग्स जो कुछ भी मिल कर कर सकते हैं, उसके बारे में हम अवश्य सोचेंगे। अभी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: मेरा आपसे एक बहुत छोटा सा प्रश्न है। यह तो अच्छा है कि आप इन स्वतंत्रता संग्राम के सैनानियों को पैन्शन इत्यादि सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप उनके बच्चों को भी शिक्षा में कुछ आरक्षण देंगे या इसी प्रकार की कोई सुविधाएं देंगे, जिससे वे शिक्षित हो कर आगे बढ़ सकें? क्योंकि जब माता-पिता स्वतंत्रता संग्राम में व्यस्त थे, उस समय उनके बच्चे दुर्लक्षित हुए थे।

दूसरा, क्या आप उन्हें ऐसी भी कोई सुविधा देंगे? जिससे मकान बनाने के लिए उन्हें या तो निःशुल्क या बहुत कम ब्याज के ऊपर ऋण मिले? यानी जो भी सुविधाएं आप भविष्य में उन्हें आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए दे सकते हैं, ऐसा नहीं हो कि केवल पैन्शन दे दी, उसके बाद उनका क्या होगा? वे अपने पावों पर खड़े हो सके और अपने जीवन को बहुत स्वाभिमान के साथ बिता सकें, आप कुछ व्यवस्थाएं अगर इस दृष्टि से करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं एक बात और भी पूछना चाहता हूं...(व्यवधान)...

श्री सभापति: बस, अब आपने पूछ लिया है ...(व्यवधान)...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: मैंने आपके यह पेपर देखे हैं, इसमें मैंने देखा है कि जिन बड़े राज्यों में स्वाधीनता संग्राम बहुत प्रबल मात्रा में था, उनमें कहीं 22,000, कहीं 17,000 और कहीं 24,000 की संख्या में स्वाधीनता संग्राम सैनानी हैं, वहीं मैं देख रहा हूं कि गुजरात में केवल 3,591 की संख्या है। इसका क्या कारण है? क्या आपने वहां पर बहुत कठोरता से लिस्ट बनाई है या वहां से अर्जियां ही बहुत कम आई हैं? क्या वहां के लोगों ने इन सुविधाओं को लेने की चिंता ही नहीं की है, अन्यथा फिर क्या कारण है, यह भी मैं आपसे जानना चाहूंगा।

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: श्रीमन् जहां तक स्कूल में रिजर्वेशन का मामला है, उसके बारे में ऐजुकेशन मिनिस्टर साहब के साथ चर्चा करके ही कोई निर्णय लिया जा सकता है, मगर आपने जो सूचना दी है, वह सूचना ऐसी है, जिसका लोग भी स्वागत करेंगे। इस संबंध में हम क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते हैं अथवा इसमें क्या अड़चनें आएंगी, यह मैं उनके साथ चर्चा करके ही बताऊंगा। जब भी हमारी बैठक होगी, उसमें यह भी अवश्य सोचा जाएगा।

जहां तक घर बनाने का सवाल है, घर की व्यवस्था तो यहां पर कर दी गई है। दिल्ली में रहने वाले स्वतंत्रता सैनानियों के लिए एवं उनके संबंधियों के लिए यह सुविधा दे दी गई है। उनके बच्चों के लिए, जो अनमैरिड हैं और खासकर जो अनमैरिड बच्चियां हैं और अनइम्प्लॉएड हैं, उनके लिए

भी इस सुविधा की व्यवस्था कर दी गई है। इससे अधिक हम और क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे और देखने के बाद ही इसमें कुछ कहा जा सकता है ...(व्यवधान)...

डा॰ पुरली मनोहर जोशी: गुजरात के बारे में आपने नहीं बताया है।

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: गुजरात के संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे गुजरात हो या कोई दूसरी जगह हो, यह बात सही है और मेरे मन में तो यह बात बहुत खटकती है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में केवल दो लाख लोगों ने ही हिस्सा नहीं लिया था, उसमे तो लाखों लोगों ने हिस्सा लिया था, लेकिन वे सभी हमारे पास नहीं आए। कई बार तो हम यह जानते भी हैं कि उनके घर में बहुत तकलीफ है, हम अपनी आंखों से यह देखते हैं और उन्हें पूछते हैं कि क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं, तो वे कहते हैं कि क्या हमने इसलिए स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था? हम आपके पास नहीं आना चाहते। उन्हें लगता है कि कुछ मांगना, उस पर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के बदले में कुछ मांगना उनकी गरिमा के खिलाफ है, इसलिए बहुत से लोगों ने मांगा नहीं कुछ। हो सकता है कि गुजरात के संबंध में भी यही बात रही हो।

*142. [The questioner (Shri Rajkumar Dhoot) was absent. For answer *vide* page 30 *infra*.]

*143. [The questioners (Shri Raj Mohinder Singh Majitha and Shri Ravi Shankar Prasad) were absent. For answer *vide* page 31 *infra*.]

Threat to livelihood by FTAs

*144. SHRI SITARAM YECHURY: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Free Trade Agreements entered into with different nations are threatening the livelihood of majority of population in our country;

(b) whether it is a fact that the agreements entered with Nepal and Sri Lanka are particularly inimical to the interests of agro-based industries such as vanaspati; and

(c) if so, the steps being taken by Government to protect the interests of the Indian agro-based industries?

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI KAMAL NATH): (a) No, Sir.

(b) and (c) The Indio-Nepal treaty on Transit & Trade has been in force since 1950, and is revised from time to time; the current treaty being effective from 6th March, 2002. The India-Sri Lanka Treaty has been signed